2008 (5) सुप्रीम 575)

दंडात्मक किराया

यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्थानांतरण के बाद भी सरकारी आवास रिक्त नहीं करता तो वह दंडात्मक किराया देने का पाबंद है। दंडात्मक किराया वसूलने के लिए विभाग वेतन से सीधे कटौती कर सकता है। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिया। श्रीमती मनोज सक्सेना डाक विभाग में सहायक के रूप में आगरा में नियुक्त थीं। उनको सरकारी आवास प्राप्त था। उनका ट्रांसफर मथुरा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने आवास रिक्त नहीं किया। इस कारण उनके वेतन से कटौती प्रारंभ कर दी गई। इस मामले में यह निर्णय किया गया कि कर्मचारी की स्थिति महज एक लाइसेंसी की है। उनको सरकारी आवास में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। दंडात्मक किराया उनसे वसूला जा सकता है। इसके विरुद्ध कोई उपचार नहीं है और स्थगनादेश नहीं दिया जा सकता है। (सीनियर पोस्ट मास्टर आगरा बनाम श्रीमती मनोज सक्सेना 2008 (2) एआरसी 621)

(लेखक विधि मामलों के जानकार हैं)